नीर निर्मल परियोजना

निम्न आय राज्यों के लिए ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना

पर्यावरणीय प्रबंधन ढाँचा

(भौतिक सांस्कृतिक संसाधनों (पी.सी.आर.) की पहचान -ओ.पी. 4.11 पर अनुलग्नक)

तिथि: 28 मई, 2019

निम्न आय राज्यों के लिए ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना

भौतिक सांस्कृतिक संसाधन, उनकी पहचान और परियोजना रचना एवं कार्यान्वयन में समावेशन

1. <u>परिचय</u>

इस दस्तावेज़ को निम्न आय राज्यों के लिए ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छता परियोजना (आर.डब्लू.एस.एस.-एल.आई.एस.) के पुनर्गठन के दौरान परिकल्पित क्रियाओं में से एक की पूर्ति के लिए तैयार किया गया है। परियोजना का पुनर्गठन प्रपत्र भौतिक सांस्कृतिक संसाधन पर ओ.पी.4.11 को लागू करने की सिफारिश करता है, जो भौतिक सांस्कृतिक संसाधनों (पी.सी.आर.) की पहचान को आवश्यक बनाता है और परियोजना रचना और कार्यान्वयन में उनकी सुरक्षा के लिए उपयुक्त उपायों को शामिल करता है।

यह दस्तावेज़ परियोजना के प्रत्येक घटक राज्य के लिए तैयार किये गये ई.ए.-ई.एम.एफ.के जोड़ के रूप में कार्य करने के लिए है और इसमें निम्न बातें शामिल हैं:

1. प्रत्येक राज्य में पी.सी.आर. से संबंधित स्थिति का एक आधारभूत आकलन
2. निम्न के लिए प्रक्रिया
    a. परियोजना गतिविधियों से किसी भी तरह प्रभावित हो सकने वाले पी.सी.आर. की पहचान और स्थान नियत करना
    b. किसी भी पी.सी.आर. पर परियोजना गतिविधियों के संभावित प्रतिकूल प्रभावों का निर्धारण, और
    c. सभी चिह्नित प्रतिकूल प्रभावों के प्रबंधन और शमन पर मार्गदर्शन

2. <u>पी.सी.आर. की परिभाषा</u>

ओ.पी.4.11 के अनुसार,

"भौतिक और सांस्कृतिक संसाधन चल या अचल वस्तुओं, स्थलों, संरचनाओं, संरचनाओं के समूहों और प्राकृतिक विशेषताओं और परिदृश्यों के रूप में परिभाषित किये गये हैं, जिनमें पुरातात्विक, जीवाश्मिकी, ऐतिहासिक, वास्तु, धार्मिक, सौंदर्य या अन्य सांस्कृतिक महत्व हैं। भौतिक सांस्कृतिक संसाधन शहरी या ग्रामीण विन्यास में स्थित हो सकते हैं, और जमीन के ऊपर या भीतर या पानी के भीतर हो सकते हैं। उनका सांस्कृतिक महत्व स्थानीय, प्रांतीय या राष्ट्रीय स्तर पर, या अंतरराष्ट्रीय समुदाय में हो सकता है।"

पी.सी.आर. विशिष्ट समुदायों की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक हो सकता है, जिसके कारण उसके साथ उन समुदाय के लोगों का भावनात्मक जुड़ाव हो सकता है। कुछ पी.सी.आर. का धार्मिक महत्व भी हो सकता है। परिणामस्वरूप, किसी भी परियोजना से संबंधित गतिविधि का पी.सी.आर. के साथ ही उनसे खुद को जोड़ने वाले समुदाय या नस्ली समूह की प्राथमिक सांस्कृतिक पहचान पर महत्वपूर्ण असर हो सकता है।

हालाँकि पी.सी.आर. किसी भी समूह, समुदाय या धर्म से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन हाशिये पर खड़े या पिछड़े समूहों जैसे आदिवासियों को अपने पी.सी.आर. की पहचान की प्रक्रिया पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि स्थानीय प्रशासनिक संस्थाओं जैसे ग्राम पंचायतों के संस्थागत ढाँचे में इनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं भी हो सकता है। इसे चार परियोजना राज्यों के मामले में देखा जाना चाहिए, क्योंकि इन राज्यों में महत्वपूर्ण जनजातीय उपस्थिति वाले कई इलाके हैं।
जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, ओ.पी.4.11 का उद्देश्य विश्व बैंक वित्तीय सहायता के जरिये चालू विकास परियोजनाओं के पी.सी.आर.पर प्रतिकूल प्रभाव को रोकना या कम करना है। **ओ.पी. 4.11 के प्रावधानों के अन्तर्गत परियोजनाओं को श्रेणी ए अथवा बी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।** इनमें (i) महत्वपूर्ण उत्खनन, विध्वंस, भूडोल, बाढ़या अन्य पर्यावरणीय परिवर्तनों से संबंधित कोई भी परियोजना; और (ii) उधारकर्ता द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भौतिक सांस्कृतिक संसाधन स्थल या उसके आसपास स्थित कोई परियोजना शामिल है। यह नीति पी.सी.आर. के प्रबंधन या संरक्षण के लिए डिजाइन की गयी परियोजनाओं पर लागू होता है, जिसमें उधारकर्ता के विधानों या किसी भी प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संधियों और समझौतों के दायरे में न आ सकने वाले पी.सी.आर. शामिल हैं।[1]

3. आधारभूत

3.1. चार परियोजना राज्यों में आदिवासी आबादी की उपस्थिति

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, आदिवासी आबादी से जुड़े पी.सी.आर. को ऐसी आबादी की अरक्षितता **और** छोड़ाव के कारण अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। यह खंड चार परियोजना राज्यों में मौजूदा आदिवासी समूहों पर विवरण देता है।
2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में कुल अनुसूचित जनजातीय आबादी 1,04,281,034 लोगों की थी। कुल आदिवासी आबादी में से लगभग 90% ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और देश की कुल 14% जनजातीय आबादी चार परियोजना राज्यों में रहती है (नीचे तालिका में विवरण देखें)।

[1]विश्व बैंक, 2013, ओ.पी.4.11 भौतिक सांस्कृतिक संसाधन, जुलाई 2006। अप्रैल 2013 को संशोधित; विश्व बैंक, 2009. भौतिक सांस्कृतिक संसाधन सुरक्षा नीति पुस्तिका।

परियोजना क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, 2011

	पुरुष			स्त्री		
	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
भारत	5,24,09,823	4,71,26,341	52,83,482	5,18,71,211	4,66,92,821	51,78,390
असम	1,957,005	1,847,326	109,679	1,927,366	1,818,079	109,287
बिहार	682,516	648,535	33,981	654,057	622,316	31,741
झारखंड	4,315,407	3,928,323	387,084	4,329,635	3,939,827	389,808
उत्तर प्रदेश	581,083	526,315	54,768	553,190	504,761	48,429

स्रोत: आदिवासी कार्य मंत्रालय https://tribal.nic.in/; https://data.gov.in/, 21 मई 2019 को लिया गया

तथापि आदिवासी आबादी परियोजना राज्य के सभी क्षेत्रों या हर जिले में नहीं फैली है। 2011 की जनगणना के आधार पर, असम में सभी परियोजना जिलों में जनजातीय आबादी पायी जा सकती है। परियोजना जिलों में मौजूद आदिवासियों में *बर्मन, बोरो, बोरोकचारी, देवरी, होजई, कछारी, सोनवाल, लालुंग, मिरी, राभा, डिमसा, हाजोंग, गारो, मेच, सिंघपो, खाम्प्पि* शामिल हैं।[2] इसके अलावा, परियोजना **क्षेत्र** में कुछ चाय बागान भी हैं, और इसमें कुछ आदिवासी शामिल हैं जिन्हें चाय जनजाति और पूर्व-चाय जनजाति के रूप में जाना जाता है। ये चाय जनजाति उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के मूल की है, और सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत की जाती है। हालाँकि, अन्य राज्यों में, इनमें से कई समूह अनुसूचित जनजातियों के रूप में पहचाने जाते हैं, और उनमें से कुछ अन्य परियोजना राज्यों में भी मौजूद हैं। हालांकि सभी चाय जनजातियाँ और पूर्व-चाय जनजातियाँ परियोजना क्षेत्र में नहीं रहती हैं, लेकिन उनमें से कुछ परियोजना क्षेत्र में पायीगयी हैं। असम की चाय जनजाति और पूर्व चाय जनजातियाँ हैं:*अहिरगोआला, आर्य माला, असुर, बरहई, बाँसफोर, भोक्ता, बउरी, बोवरी, भुइयाँ, भूमिज, बेदिया, बेलदार, भारिक, भाता, बसोर, बैगा, बैरा, भील, बोंडो, बिंजिया, बिरहर, बिरजिया, बिरजिया, बेड़ी, चमार, चौधरी,चेरे, चिक बनिक, डंडारी, डाँडसी, दुसाध, धनवर, गंडा, गोंडा, गोंड, घनसी, गोरइत, घटोवार, हरि, होलरा, जोल्हा, केवट, कोइरी, खोनयार, कुर्मी, कवार, करमाली, कोरवा, कोल, कालाहांडी कालीहांडी, कोतवाल, खारिया, कुम्हार, खरवार, खोदल, खोंड, कोया, कोंडपन, कोहोर, कोरमाकर, कषान, लाहर, लोधा, लोधी, मदारी, महली, मोहली, मोदी, महतो, मलपथरिया, मनकी, मजवार, मिरधर, मुंडा, नोनिया, नूनिया, नगाशिया, नागबंसी, नाथ, उरांव, पासी, पैंदी, पान, पनिका, परजा, पतरातंती, प्रधान, रजवार, सहोरा, संथाल, संताल, सरवेरा, तुरी, तेलंगा, तास्सा, तंतूबई, तेली और तांती* आदि[3]। इस तरह यह भी पता चलता है कि न केवल आदिवासी आबादी बल्कि अन्य समूहों की भी पहचान करने की आवश्यकता है, क्योंकि कई अन्य या तो आपस में संबद्ध हो सकते हैं या समान संबद्धता हो सकती है।

झारखंड के सभी छह परियोजना जिलों में जनजातीय आबादी है। झारखंड में लगभग 30 प्रमुख जनजातियाँ हैं। झारखंड राज्य में जनजातियों, आवश्यक नहीं है कि वे परियोजना क्षेत्र में भी हों, में

[2] https://data.gov.in/, 21 मई, 2019 को लिया गया

[3] http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=87106 21 मई, 2019

असुर, अगरिया, बैगा, बथूड़ी, देदिया, बिंझिया, बिहोर, बिर्जिया, चेरो, चिक बरैक, गोंड, गोरइत, हो, करमाली, खारिया, ढेलिकी खारिया, दुध खारिया, पहाड़ी खारिया, करवार, खोंड, किसन, नगेसिया, कोरा, मुड़ी-कोरा, कोरवा, लोहरा, महली, माल पहरैया,कुमारभग पहरिया, मुंडा, पातर, उरांव, धनगर, परहैया, संताल, सौरिया पहरिया, सावर, भूमिज, कावर और कोल[4] शामिल हैं।

2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के 6 परियोजना जिलों में जनजातीय आबादी है। ये पूर्णिया, सारण, मुंगेर, नालंदा, पटना और नवादा हैं। बिहार में मौजूद आदिवासी समूह झारखंड के समान हैं। उनमें *असुर, अगरिया, बैगा, बंजारा, बथुडी, बेदिया, बिंझिया, बिरहोर, बिरजिया, चेरो, चिक बरैक, गोंड, गोरइत, हो, करमाली, खारिया, ढेलकी खारिया, दुध खारिया, पहाड़ी खारिया, खरवार, खोंड, किसन, नगेसिया, कोरा, मुड़ी-कोरा, कोरवा, लोहारा, लोहरा, महली, माल पहरिया, कुमारभग पहरिया, मुंडा, पातर, उरांव, धनगर (उरांव), परहैया, संताल, सौरिया पहरिया, सावर, कावंर, कोल, और थारू* शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश में, 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातीय आबादी वाले परियोजना जिले, बहराइच, गोंडा, सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र हैं। यहाँ मौजूद कुछ जनजातियाँ *गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पथरी, राज गोंड, खरवार, खैरवार, परहिया, बैगा, अगरिया, पटारी, चेरो, भुइया और भुइंया* हैं।[5]

परियोजना क्षेत्र में, विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह भी हैं, जिन्हें पहले आदिम जनजातीय समूह कहा जाता था। ये हैं *असुर, बिरहोर, बिरजिया, पहाड़ी खारिया, कोरवास, माल पहरिया, परहैया, सौरिया पहरिया और सावर*। ये हाशिये पर और आर्थिक रूप से कम उन्नत समुदाय हैं।[6]

3.2. <u>प्रतीकात्मक</u> <u>आदिवासी पी.सी.आर.</u>

नीचे भारत की कुछ आदिम जनजातियों से संबंधित पी.सी.आर. के कुछ प्रदर्शनात्मक उदाहरण दिये गये हैं:

- मुंडा : ये अपने पूर्वजों को दफन करते हैं जिन्हें संरक्षक आत्माओं के रूप में माना जाता है। इन पूर्वजों के प्रतीक के रूप मेंकब्र के पत्थर, ससंदिरि लगाये जाते हैं।
- संथाल: **संरक्षक पूर्वजों की** आत्माओं पर विश्वास करते हैं जो बसाहट के छोर पर एक पवित्र वन में रहते हैं। संथाल इन आत्माओं को खुश करने के लिए प्रार्थना और कुछ वस्तुओं की पेशकश करते हैं।
- बिरहोर: इनकी धार्मिक प्रथाओं में जीववाद, प्राणवाद, प्रकृतिवाद और आत्माओं की पूजा का मिश्रण शामिल है।[7]
- नियमगिरि वन क्षेत्र : डोंगरिया खोंड इस वन क्षेत्र में नियम गोंगर नामक एक चिह्नित क्षेत्र को अपने देवता नीम राजा का जन्मस्थान मानते हैं।[8]

---

[4]http://censusindia.gov.in/

[5]समान स्रोत

[6]समान स्रोत

[7]आदिवासी कार्य मंत्रालय।https://tribal.nic.in/

[8]https://www.downtoearth.org.in, जून 2015

- नर्तियांग स्तंभ : माना जाता है कि ये स्तंभ मेघालय के जयंतिया लोगों की महत्वपूर्ण घटनाओं और राजाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- बरगद और पीपल के पवित्र पेड़: उत्तर भारत; जिसमें उत्तर प्रदेश और बिहार शामिल हैं, में कुछ समुदाय बरगद के पेड़ों की पूजा करते हैं। इसलिए इन पेड़ों को काटा या चीरा नहीं जा सकता है। इसी तरह, पीपल के पेड़ को भगवान शनि का निवास माना जाता है और इसलिए कई समुदायों की मान्यताओं के अनुसार, यह पवित्र पेड़ भी नहीं काटा जाना चाहिए।

जैसा कि इन उदाहरणों से दिखता है, पी.सी.आर.में विभिन्न वस्तुएँ शामिल हो सकती हैं, और हो सकता है कि इन वस्तुओं को बाहर वाले समझ या देख न पायें। इनमें जल संरचनाएँ, पहाड़ियाँ, पेड़ या अन्य जीव या वनस्पतियाँ, चट्टानें या अन्य भौतिक और परिदृश्य स्थान, कब्र या कब्रिस्तान आदि शामिल हो सकते हैं। प्राकृतिक विशेषताएँ या मानव निर्मित वस्तुएँ, दोनों ही पी.सी.आर. हो सकती हैं जो किसी विशेष समुदाय या धर्म या समूहों की पहचान के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा, सभी पी.सी.आर. जमीन के ऊपर नहीं होंगे: वे निर्माण गतिविधियों के दौरान खुदाई करते समय भी मिल सकते है। ऐसे मामलों को "संयोगवश मिले परिणाम" के रूप में जाना जाता है।

3.3. पी.सी.आर. को प्रशासित करने वाले कानून और विनियम

3.3.1. प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 और संशोधन

यह अधिनियम प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और राष्ट्रीय महत्व के अवशेषों के संरक्षण एवंबचाव और मूर्तियों, नक्काशी और अन्य समान वस्तुओं के लिए पुरातात्विक उत्खनन और बचाव के विनियमन के लिए है। इस अधिनियम के अनुसार, इस अधिनियम के संरक्षण में आने के लिए किसी प्राचीन स्मारक काकम से कम 100 वर्षों से अस्तित्व में होना होगा।

केंद्रीय अधिनियम के अनुसार संरक्षित क्षेत्र के मालिक या कब्जाधारक समेत कोई भी, संरक्षित क्षेत्र के भीतर कोई इमारत बनाने या संरक्षित क्षेत्र में कोई खनन, खोदाई, उत्खनन, विस्फोट या समान प्रकृति की कोई भी गतिविधि करने या केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना पूरे क्षेत्र या हिस्से का उपयोग करने के लिए अधिकृत नहीं है। इस निषिद्ध क्षेत्र को आगे एक संरक्षित स्मारक के निकट या सटे हुए क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे केंद्र सरकार ने आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, 1959 केप्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थलो और अवशेष नियमों द्वारा निषिद्ध घोषित किया है।

2010 का अधिनियम संरक्षित स्थल से सभी दिशाओं में 100 मीटर की दूरी तक निषिद्ध क्षेत्र की सीमा तय करता है, बशर्ते नामित प्राधिकारी निषिद्ध क्षेत्र के उद्देश्य से एक बड़े क्षेत्र की सिफारिश नहीं करता। निषिद्ध क्षेत्र में केवल पुरातात्विक अधिकारियों को कोई निर्माण करने की अनुमति है, 2010 के अधिनियम के अनुसार, निषिद्ध क्षेत्र में कोई अन्य गतिविधि नहीं हो सकती है, यहाँ तक कि वे परियोजनाएँ या निर्माण भी नहीं हो सकते जो आम जनता के लिए आवश्यक हैं।

निषिद्ध क्षेत्र से 200 मीटर आगे का दायरा सभी राष्ट्रीय संरक्षित स्मारकों के लिए विनियमित क्षेत्र है। 2010 अधिनियम के अनुसार इस विनियमित क्षेत्र में किसी भी मरम्मत, निर्माण या पुनर्निर्माण के लिए

सक्षम प्राधिकारी से अनुमति की आवश्यकता होगी। निर्माण/मरम्मत की स्वीकृति या अनुमति के लिए दिये गये आवेदन को 2 महीने की अवधि के भीतर स्वीकृत या खारिज करना होगा। 2011 के नियमों के अनुसार, अनुमति के अनुरोध के लिए आवेदन के एक हिस्से के रूप में विस्तृत योजना उपलब्ध कराने की जरूरत होगी, और इसके बिना जमा किये गये अनुमति के अनुरोध को फिर से दाखिल करना होगा। 2011 के नियम के तहत यह भी आवश्यक है कि प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक स्थलीय योजना हो जो संरक्षित स्थल के विशिष्ट उप-कानूनों इत्यादि के साथ सक्षम प्राधिकारी के पास उपलब्ध हो।
1959 के नियमों के अनुसार, जब तक कि संरक्षित क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र में अनुमति नहीं दी जाती है, तब तक स्मारक के किसी भी हिस्से को नुकसान पहुँचाने वाली कोई भी गतिविधि नहीं की जा सकती है। इसके अलावा, खाना पकाने या भोजन करने की अनुमति केवल उस उद्देश्य के लिए तय क्षेत्रों में ही है। परिसर के भीतर लाये जाने वाले किसी भी वाहन को केवल उसके लिए तय क्षेत्र में लाने की अनुमति है। नियम के अनुसार, संरक्षित क्षेत्र के भीतर सभी निर्माण और खनन गतिविधियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्माण गतिविधि शुरू होने से कम से कम 3 महीने पहले अनुमति दिये जाने की आवश्यकता है। निषिद्ध या विनियमित क्षेत्रों के मामले में, किसी भी खनन या निर्माण कार्य को इन नियमों में निर्दिष्ट के अनुरूप महानिदेशक की अनुमति के बाद और गतिविधि करने के लिए लाइसेंस के नियमों और शर्तों के आधार परही किया जा सकता है।

3.3.2. भारतीय खजाना एवं गुप्त कोष अधिनियम (इंडियन ट्रेजर ट्राव एक्ट), 1878, (1 सितंबर, 1949 को संशोधित)

यह अधिनियम जमीन में छिपे या किसी भी स्थान पर दृढ़ किसी भी मूल्यवान वस्तु को खजाने के रूप में परिभाषित करते हुए, खजाना खोजने की प्रक्रियाओं और इसकी घोषणा पर चर्चा करता है। 10 रुपये से अधिक मूल्य के मिले किसी भी खजाने के लिए, खोजकर्ता को, जितनी जल्द संभव हो, जिला कलेक्टर को खजाने की प्रकृति और अनुमानित मूल्य की राशि और उस स्थान के बारे में लिखित रूप में सूचना देने की आवश्यकता है। उस खजाने, जिसमें दावेदार हो सकते हैं, के लिए अधिनियम प्रक्रियाओं की पहचान करता है और दावेदार को विवादित दावों सहित दावा करने के लिए समय देता है। जिस खजाने का कोई मालिक न हो, उस मामले में, कलेक्टर उसे मालिक विहीन घोषित कर सकते हैं। कलेक्टर अधिनियम में निर्दिष्ट के अनुरूप सरकार की ओर से खजाने को अधिग्रहीत भी कर सकते हैं। यदि खोजकर्ता नोटिस नहीं देता है या अपनी पहचान को बदलने या छुपाने का प्रयास करता है, तो खोजकर्ता को छिपाने का दोषी ठहराया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है।
कई राज्य संरक्षित स्मारक भी हैं और नीचे बताये गये राज्य विधानमंडलों के क्षेत्राधिकार में हैं।

3.3.3. असम प्राचीन स्मारक और अभिलेख अधिनियम, 1959 (1959 का असम अधिनियम सं. XXV)

यह अधिनियम संसद द्वारा कानून के तहत राष्ट्रीय महत्व के घोषित से इतर असम मे प्राचीन एवं ऐतिहासिकं स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों एवं अवशेषों के संरक्षण के लिए है।

3.3.4. यू.पी. प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष संरक्षण अधिनियम, 1956,1957 का यू.पी. अधिनियम सं VII

यह अधिनियम संसद द्वारा कानून के तहत राष्ट्रीय महत्व के घोषित से इतर उत्तर प्रदेश मे प्राचीन एवं ऐतिहासिकं स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों एवं अवशेषों को संरक्षण उपलब्ध कराता है।

3.3.5. झारखंड प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल, अवशेष और कला निधि अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्या 14)

यह अधिनियम झारखंड में पुरातात्विक उत्खनन के नियमन और राज्य में पुरावशेषों के संरक्षण के लिए संसद द्वारा कानून के तहत राष्ट्रीय महत्व के घोषित से इतर प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों एवं अवशेषों के संरक्षण के लिए है।

3.3.6. बिहार प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल, अवशेष और कला निधि अधिनियम, 1976

यह अधिनियम बिहार में पुरातात्विक उत्खनन के नियमन और राज्य में पुरावशेषों के संरक्षण के लिए संसद द्वारा कानून के तहत राष्ट्रीय महत्व के घोषित से इतर प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों एवं अवशेषों को संरक्षण उपलब्ध कराता है।

3.4. अधिनियमों के तहत परिभाषाएँ

प्राचीन स्मारक: कोई भी संरचना, निर्माण या स्मारक या कोई स्तूप या अंत्येष्टि स्थल, या धधकती हुई या कोई गुफा, प्रस्तर-मूर्तिकला, शिलालेख या स्तंभ, जो ऐतिहासिक, पुरातात्विक या कलात्मक अभिरुचि का है, और जो सौ साल से ज्यादा समय से अस्तित्व में है, के अवशेष और स्थल समेत।

- ऐसे स्थल से सटी भूमि का हिस्सा जो उसी के संरक्षण, बचाव, रखरखाव और बनाये रखने के लिए आवश्यक या अपेक्षित हो सकता है; और
- पहुँच के साधन और उसका सुविधाजनक निरीक्षण और मरम्मत; (बी)

पुरावशेष : में शामिल हैं:

- कोई भी सिक्का, मूर्ति, पेंटिंग, एपिग्राफ, या कला या शिल्प कौशल के अन्य कार्य।
- भवन या गुफा से अलग किया गया कोई भी सामान, विषय या वस्तु;
- बीते युगों के विज्ञान, कला, शिल्प, साहित्य, धर्म, रीति-रिवाजों, नैतिकता या राजनीति को प्रदर्शित करने वाला कोई भी सामान, विषय या वस्तु;
- ऐतिहासिक अभिरुचि का कोई भी सामान, विषय या वस्तु; और
- कोई भी सामान, विषय या वस्तु जिसे इसके ऐतिहासिक या पुरातात्विक जुड़ाव के कारण राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन से राज्य सरकार आधिकारिक गजट में अधिसूचना के जरिये पुरातन घोषित करती है और जो सौ वर्ष से ज्यादा समय से अस्तित्व में है और कोई भी पांडुलिपि, रिकॉर्ड या अन्य दस्तावेज जो वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक या सौंदर्य मूल्य का है और जो पचहत्तर वर्ष से अधिक समय से अस्तित्व में है।

"आर्ट ट्रेज़र" का अर्थ है, मानवकृत कला का कोई भी कार्य, राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के जरिये घोषित पुरातनता के कारण नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और सौंदर्य मूल्य का होने से इस अधिनियम के प्रयोजन से एक आर्ट ट्रेजर है;

3.5. <u>निहितार्थ</u>

संरक्षित क्षेत्र के मालिक या कब्जाधारक समेत कोई भी व्यक्ति राज्य सरकार की अनुमति के बिना संरक्षित क्षेत्र के भीतर कोई भवन निर्मित नहीं करेगा या उस क्षेत्र में कोई भी खनन, खोदाई, उत्खनन, विस्फोट या समान प्रकृति की कोई भी गतिविधि नहीं करेगा या ऐसे क्षेत्र या उसके किसी भी हिस्से का किसी भी तरह से उपयोग नहीं करेगा:

3.5.1. <u>संरक्षित क्षेत्र में उत्खनन:</u>

इस अधिनियम के तहत, यदि कोई संरक्षित क्षेत्र प्राचीन स्मारक प्रावधान, पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (24, 1958) की धारा 24 के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं है तो इस प्रयोजन से स्वीकृत लाइसेंस रखने वाला (आगे लाइसेंसी के रूप में सदर्भित) एक पुरातात्विक अधिकारी या उसके स्थान पर उसके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी या कोई व्यक्ति निदेशक और मालिक को लिखित में सूचना देकर उस संरक्षित क्षेत्र मेंप्रवेश कर सकता है और उत्खनन कर सकता है ।

3.5.2. <u>उत्खनन कार्यों के दौरान मिलने वाले पुरावशेषों आदि का अनिवार्य अधिग्रहण:</u>

यदि कोई पुरावशेष तलाशा जाता है, तो पुरातत्व अधिकारी या लाइसेंसधारी, जैसा भी मामला हो, (ए) जितना जल्दी संभव हो, ऐसे पुरावशेषों की जाँच करें और राज्य सरकार को निर्दिष्ट तरीके से और विवरणों के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करें। (बी) उत्खनन कार्यों के समापन पर, पुरावशेषों की प्राप्ति वाली भूमि के मालिक को लिखित रूप से ऐसे पुरावशेषों की प्रकृति के बारे में नोटिस दें।

जब तक इस तरह के किसी भी पुरावशेष के अनिवार्य अधिग्रहण का आदेश उप-धारा के तहत नहीं किया जाता है, पुरातात्विक अधिकारी या लाइसेंसधारी, जैसा भी मामला हो, जैसा वे उपयुक्त समझ सकते हैं, उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखेंगे।

उप-धारा के तहत रिपोर्ट प्राप्त होने पर, राज्य सरकार इस तरह के पुरावशेषों को बाजार मूल्य पर अनिवार्य अधिग्रहण का आदेश दे सकती है।

4. पी.सी.आर.छानबीन प्रक्रिया

यह स्पष्ट है कि पी.सी.आर. की पहचान करने और यह निर्धारित करने कि उनमें से कौन परियोजना से प्रभावित हो सकता है, के लिए समुदाय के परामर्श से परियोजना क्षेत्र की पूर्व छानबीन (कार्यान्वयन गतिविधि शुरू होने से पहले) प्रतिकूल परिस्थितियों को रोकने में एक बड़ी भूमिका निभा सकती है। यह खंड उपरोक्त को सुविधाजनक बनाने के लिए विकसित छानबीन प्रक्रिया के बारे में बताता है।

योजना और डिजाइन चरण की शुरुआत में पी.सी.आर. छानबीन शुरू करनी चाहिए, और इसे पर्यावरण डेटा शीट (ई.डी.एस.) की तैयारी के समय ही शुरू किया जाना चाहिए। पी.सी.आर.छानबीन प्रारूप (इस अनुलग्नक में संलग्न), ई.डी.एस. से अनुलग्नक के रूप में जुड़ा होना चाहिए। पी.सी.आर.छानबीन प्रारूप में दर्ज प्रभावित पी.सी.आर. से संबंधित सभी प्रासंगिक निष्कर्षों का निस्तारण करने की शमन नीति को पर्यावरण प्रबंधन योजना (ई.एम.पी.) में शामिल किया जाना चाहिए।

प्रभावित पी.सी.आर. को सही ढंग से चिह्नित करने और यह सुनिश्चित करने कि संबंधित समुदायों के विचार और भावनाएँ उपयुक्त ढंग से शामिल कर लिये गये हैं, सामुदायिक परामर्शों को जितना संभव हो, उतनी गहराई और सघनता से करना महत्वपूर्ण है। परामर्श पर्याप्त पूर्व लिखित सूचना के साथ आयोजित किया जाना चाहिए और उपस्थिति में प्रतिभागियों के मिश्रण में प्रभावित समुदायों सहित स्थानीय जनांकिकी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। समुदाय को सभी पी.सी.आर.पर प्रस्तावित परियोजना के निहितार्थों और संभावित शमन विकल्पों से अवगत कराया जाना चाहिए। साथ ही, उन्हें निर्माण के निहितार्थ या संबंधित गतिविधियों जैसे सामग्री भंडारण, अपशिष्ट निस्तारण, श्रम शिविर आदि समेत सभी संबंधित विवरणों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।
छानबीनके समय, सामाजिक विशेषज्ञ, परियोजना अभियंता/तकनीकी विशेषज्ञ और संबंधित सरकारी अधिकारियों को परामर्श प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। पी.सी.आर. छानबीन प्रारूप (संलग्न प्रारूप देखें) के अलावा, छानबीन प्रक्रिया शुरू करते समय योजना मानचित्र और आरेख भी उपलब्ध होने चाहिए।

4.1. पी.सी.आर. छानबीन के चरण

1) प्रभावित पी.सी.आर. की पहचान और संबंधित परामर्शों की योजना :
    a. ग्राम पंचायत के साथ परिचयात्मक बैठक के हिस्से के रूप में, सभी संबंधित पी.सी.आर. का सीमांकन सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र में हितधारकों और समुदायों की पहचान और मानचित्रण करें।
    b. विभिन्न टोला/वार्डों और वहां रहने वाले समूहों और क्षेत्र के किसी हिस्से का उपयोग कर सकने वालों, यहाँ तक ग्राम पंचायत के आसपास रहने वालों की पहचान करने के लिए ग्राम पंचायत का मानचित्रण करें, ताकि योजना संबंधी किसी भी बुनियादी ढाँचे के लिए योजना बनायी जा सके।
    c. विभिन्न हितधारकों से संपर्क करें और उनसे मिलने के लिए उचित समय चिह्नित करें।

d. पी.सी.आर. पहचान के लिए, विभिन्न क्षेत्रों में और विभिन्न समूहों के साथ एक से अधिक परामर्श बैठक आयोजित करने की जरूरत पड़ सकती है। इस पर सामाजिक विशेषज्ञ के साथ चर्चा की जानी चाहिए, जिनकी क्षेत्र में सामाजिक संरचना और संबंधों के बारे में एक समझ है।

2) पी.सी.आर. छानबीन प्रक्रिया के लिए परामर्श का संचालन
   a. योजना, उसके घटकों और स्थान और परामर्श बैठक के लक्ष्य के बारे में बतायें।
   b. क्षेत्र में संभावित पी.सी.आर. की पहचान करने के लिए छानबीन प्रारूप का उपयोग करें।
   c. जहाँ पी.सी.आर. की पहचान की जाती है, स्थान की पहचान करने के लिए पूरे क्षेत्र में पैदल घूम कर जाँच करें। पी.सी.आर. छानबीन प्रारूप में प्रासंगिक विवरण भरें और योजना मानचित्र पर पी.सी.आर. को चिह्नित करें। यह पैदल घूम कर जाँच करना न केवल पी.सी.आर. के स्थान की पहचान करने के लिए महत्वपूर्ण होगा, बल्कि यह भी पता चलेगा कि क्या परियोजना द्वारा इनके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने की संभावना है।
   d. सभी पी.सी.आर., जो परियोजना की गतिविधियों से प्रभावित हो सकते हैं, के लिए कार्यालय में, परियोजना इंजीनियरों और तकनीकी टीम की मदद से, पहचान किये गये किसी भी प्रतिकूल प्रभाव से बचने या कम करने के लिए योजना डिजाइन के लिए विकल्पों के सेट की पहचान करने पर काम करें।
   e. विभिन्न विकल्पों के साथ पी.सी.आर. के स्वामित्व वाले समुदाय के पास लौटें और योजना गतिविधि से प्रभावों को प्रबंधित/शमन करने के सबसे उपयुक्त तरीके की पहचान करें।
   f. सभी बैठकों को रिकॉर्ड करें और विवरण दर्ज करें और सभी पी.सी.आर. के लिए बैठकों के विवरणों को पी.सी.आर. छानबीन प्रारूप से संलग्न करें।
   g. पी.सी.आर. छानबीन कार्य करते समय, सुनिश्चित करें कि आपके पास भाग डी और ई की एक से अधिक प्रतियाँ हों, क्योंकि अगर एक से अधिक पी.सी.आर. चिह्नित होते हैं तो प्रत्येक पी.सी.आर. के बारे में पृथक विवरण भरना पड़ेगा।

3) पी.सी.आर.प्रारूप भरना
   a. संयुक्त ई.डी.एस. और पी.सी.आर. परामर्श बैठक में, पी.सी.आर. का परिचय दें और समझायें कि वे क्या हैं।
   b. पूछें कि क्या बैठक में किसी को योजना क्षेत्र में पी.सी.आर. के बारे में जानकारी है।.
   c. यदि हाँ, तो क्षेत्र में पी.सी.आर. के बारे में जानने वाले समुदाय के उन सदस्यों की पहचान करें, और उनके परामर्श से योजना के मानचित्र और योजना क्षेत्र में पी.सी.आर. को चिह्नित करें।

d. परियोजना के तकनीकी विशेषज्ञ / इंजीनियर के साथ उन जगहों पर जायें जहाँ पी.सी.आर. हैं ताकि यह सुनिश्चित कर सकें कि क्या वे परियोजना गतिवधियों से प्रभावित हो सकते हैं।

e. अगर किसी परियोजना गतिविधि से पी.सी.आर.के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रभावित होने की संभावना है; तो पी.सी.आर. प्रारूप के बाकी हिस्सों को भरें। यदि नहीं, तो भाग सी के पहले खंड के बाद प्रारूप भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। भले ही योजना क्षेत्र में पी.सी.आर. प्रभावित न हों, कृपया ईडीएस के अनुलग्नक के रूप में पी.सी.आर. छानबीन प्रारूप को दाखिल करें।

f. उन योजनाओं के लिए, जहाँ पी.सी.आर. परियोजना गतिविधियों से प्रभावित हो सकते हैं, अगर धारा ई के 1 से 6 तक के किसी भी प्रश्न पर हाँ भरें, तो पी.सी.आर. स्थल को स्थानांतरित/ संशोधित करने या दिशा-परिवर्तन करने की संभावित जरूरत पर समुदाय के साथ विस्तृत चर्चा करें।

g. चूंकि यह संभव है कि केवल **मूल** समुदाय ही अपने पी.सी.आर. के बारे में जानते हैं/ जानकारी दे सकते हैं, इसलिए पी.सी.आर. प्रारूप को अंतिम रूप देने से पहले योजना में विभिन्न समुदायों के साथ परामर्श करना महत्वपूर्ण है।

h. फॉर्म के भाग ई को अंतिम रूप देने से पहले, योजना से संभावित प्रभाव का आकलन करने के लिए चिह्नित पी.सी.आर. के पास जाना चाहिए। पी.सी.आर. के मालिक समुदाय के सदस्यों के साथ परामर्श किये जाने वाले इस दौरे में परियोजना विशेषज्ञ/इंजीनियर को शामिल किया जाना चाहिए।

i. यह सुनिश्चित करने के लिए सभी समुदायों से परामर्श हुआ है, एक से अधिक परामर्श किये जा सकते हैं और स्कीम क्षेत्र में पी.सी.आर. छानबीन ऐसे सभी संसाधनों का एक व्यापक मूल्यांकन है।

4) ईडीएस में समावेशन

a. एक बार पी.सी.आर. प्रारूप भर जाने के बाद, इसे ई.डी.एस. के साथ किसी नक्शे, बैठक के विवरण आदि के साथ जोड़ा जाना है।

b. चिह्नित मुद्दों को पुरातत्व और अन्य निष्कर्षों से निपटने वाले अनुभाग के तहत ई.डी.एस. में शामिल किया जाता है।

5) प्रबंधन क्रियाओं की पहचान

a. चूंकि सभी योजनाएँ, जहाँ पी.सी.आर.प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योजना की गतिविधियों से प्रभावित हो सकते हैं, श्रेणी 2 योजनाएँ हैं, इसलिए परियोजना के लिए एक ई.एम.पी.बनाने की आवश्यकता है।

b. ई.एम.पी. में पी.सी.आर. के निष्कर्षों को शामिल करें

c. उचित शमन और प्रबंधन कार्यों को पहचानें।

d. योजना के विभिन्न चरणों में जिम्मेदारियों सहित पी.सी.आर. प्रबंधन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश तैयार करें।
e. उचित निगरानी योजना की पहचान करें।
f. पी.सी.आर. प्रबंधन कार्य के लिए लागत का आकलन करें, और यह सुनिश्चित करें कि वह समग्र योजना लागत में शामिल है।

जहाँ पी.सी.आर. की पहचान की गयी है, उनके ई.डी.एस. और ई.एम.पी. की समीक्षा बैंक कर्मचारियों द्वारा की जायेगी। समीक्षा में योजना प्रक्रिया को मंजूरी देने से पहले प्रबंधन कार्यों की उपयुक्तता शामिल होगी।

पी.सी.आर. छानबीन प्रारूप और विवरण के साथ ई.डी.एस. का प्रकाशन परियोजना की वेबसाइट पर किया जायेगा। हालांकि, जब उधारकर्ता, बैंक और संबंधित विशेषज्ञता वाले व्यक्तियों के परामर्श से, यह निर्धारित करे कि **प्रारूप को** सार्वजनिक किया जाना भौतिक सांस्कृतिक संसाधनों की सुरक्षा या अखंडता को खतरे में डालेगा या भौतिक सांस्कृतिक संसाधनों के बारे में जानकारी के स्रोत को खतरा हो सकता है, तो सार्वजनिक किये जाने के अपवादों पर विचार किया जा सकता है। ऐसे मामलों में, इन विशेष पहलुओं के बारे में संवेदनशील जानकारी ई.ए. की रिपोर्ट से हटायी जा सकती है।

5. <u>प्रबंधन के कदम</u>

यह खंड परियोजना कार्यान्वयन गतिविधियों द्वारा पी.सी.आर. के प्रभावित होने की विभिन्न स्थितियों/परिदृश्यों/तौर-तरीकों के संदर्भ में संभावित शमन उपायों पर मार्गदर्शन देता है। इस संबंध में सुझाये गये प्रबंधन कार्यों में वित्त भी निहित हो सकता है।

5.1. <u>योजना की डिजाइन और स्थानीय पहलुओं के कारण पी.सी.आर. पर प्रभाव</u>

परिस्थिति -1

योजना की कुछ प्रमुख बुनियादी ढाँचे जैसे डब्लू.टी.पी., पम्पिंग स्टेशन, मुख्य पाइपलाइन, पी.सी.आर. स्थल पर स्थित है।

प्रबंधन के संभावित कार्य

<u>**विकल्प-1**</u>: यदि समुदाय पी.सी.आर. को <u>**प्रतिस्थापित करने पर सहमत हो जाता है**</u>[9],

[9]गैर-प्रतिरूपणीय सांस्कृतिक विरासत, पी.सी.आर., जो अपने मूल स्थान पर सबसे अच्छी तरह से संरक्षित हो सकते हैं, को प्रतिस्थापित किये जाने पर अपूरणीय क्षति या नष्ट होने की आशंका है तो उन्हें तब तक प्रतिस्थापित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि (i) उनके प्रतिस्थापन/हटाने के अलावा कोई तकनीकी या वित्तीय रूप से व्यावहारिक विकल्प नहीं है; (ii) समग्र

- पी.सी.आर.के मालिक समुदाय और वैकल्पिक स्थल के मालिक के साथ परामर्श करके पी.सी.आर. के प्रतिस्थापन के लिए वैकल्पिक स्थल की पहचान करें।
- पी.सी.आर.के प्रतिस्थापन के समय कोई आपत्ति या असहमति नहीं होने के क्रम में वैकल्पिक स्थल के पास रहने वाले या किसी भी सामाजिक या अन्य गतिविधियों के लिए क्षेत्र का उपयोग करने वाले अन्य समुदायों से भी पी.सी.आर. के सुचारु हस्तांतरण को सुनिश्चित करने के लिए परामर्श किया जाना चाहिए।
- टीम के सामाजिक विशेषज्ञ के साथ मिलकर सामाजिक प्रबंधन ढाँचे में चिह्नित प्रक्रिया के अनुसार भू-स्वामित्व और स्वामित्व/खरीद आदि के हस्तांतरण की पहचान करें।
- प्रतिस्थापन के लिए स्थानीय त्योहारों, विश्वासों और प्राकृतिक घटनाओं (जैसे बारिश का मौसम) पर विचार करने की आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए भागीदार समुदायों के साथ मिलकर प्रतिस्थापन की योजना बनायें, जिससे मार्गदर्शन मिल सकता है कि पी.सी.आर. को कब प्रतिस्थापित किया जा सकता है।
- समुदाय के साथ मिल कर नया पी.सी.आर.स्थल तैयार करने के लिए कार्यों की पहचान करें और यह सुनिश्चित करें कि प्रतिस्थापन से पहले नया स्थल तैयार हो जाये।
- पी.सी.आर. प्रतिस्थापित करने के लिए पी.सी.आर. के स्वामी समुदाय के साथ मिल कर काम करें। इसके लिए टीम और समुदाय के बाहर के विशेषज्ञों की आवश्यकता हो सकती है और इसलिए इन विशेषज्ञों को प्रतिस्थापन शुरू करने से पहले की प्रक्रिया के लिए संपर्क करने और लाने की आवश्यकता हो सकती है।
- प्रतिस्थापन पूरा हो जाने के बाद ही स्थल पर योजना से संबंधित गतिविधियाँ शुरू करें।
- प्रतिस्थापन करने के पहले मूल स्थान पर पी.सी.आर. की तस्वीरें, माप आदि को लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि भविष्य में संदर्भ के लिए जरूरी है।

<u>विकल्प-2</u>: यदि समुदाय पी.सी.आर. को स्थानांतरित/प्रतिस्थापित करने के लिए सहमत <u>नहीं</u> है, <u>लेकिन दिशा परिवर्तन के लिए सहमत</u> है

- पी.सी.आर. के मालिक समुदाय से ये पता करें कि क्या वे दिशा परिवर्तन के लिए या योजना के बुनियादी ढाँचे के लिए जमीन के हिस्से का उपयोग करने की अनुमति देने पर सहमत हैं।
- यदि हाँ, तो दिशा परिवर्तन कार्य की पहचान करने के लिए समुदाय के साथ काम करें, समुदाय के साथ योजना तैयार करें। यदि जरूरत पड़े तो मदद लेने और समुदाय के साथ दिशा परिवर्तन करने के लिए बाहर के विशेषज्ञों को लायें। सुनिश्चित करें कि दिशा परिवर्तन

परियोजना से मिलने वाला लाभ पी.सी.आर.के नुकसान से महत्वपूर्ण होता है; और सभी निवारण और प्रतिस्थापन सर्वोत्तम उपलब्ध तकनीकों का उपयोग से किया जाता है।

से पहले क्षेत्र की तैयारी और शामिल समुदायों की भावनाओं के अनुसार उपयुक्त मौसम/दिन के समय इत्यादि समेत सभी योजना पहले ही बना ली गयी है। काम पूरा हो जाने के बाद, योजना संबंधी सभी गतिविधियाँ शुरू की जा सकती हैं।

- पी.सी.आर. में किये जाने वाले किसी भी अनुष्ठान और निर्माण गतिविधियों से बाधा एवं पी.सी.आर. के टूटने होने को ध्यान में रखते हुए पी.सी.आर. छानबीन परामर्श के एक हिस्से के रूप में, बुनियादी ढाँचा के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त समय की पहचान करें।
- पी.सी.आर. में गड़बड़ी या कार्य में बाधा को कम करने की दृष्टि से निर्माण के दौरान सभी कार्य एवं मुद्दों का स्पष्ट रूप से चिह्नांकन एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए ठेका अनुबंध में आवश्यक कार्यों की पहचान करें। इनमें से कुछ को सामुदायिक चर्चा के जरिये पहचाना जा सकता है, और इसे छानबीन प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए।
- पी.सी.आर. में विघ्न कम करने के लिए पी.सी.आर.और बुनियादी ढाँचा के बीच उपयुक्तता के अनुसार चारदीवारी जैसा कोई अवरोध बनाने पर विचार करें। हालाँकि, यह उस समुदाय के साथ चर्चा के जरिये किया जाना चाहिए, जिसका पी.सी.आर. है।
- दिशा परिवर्तन के बाद पी.सी.आर. की अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए परियोजना के तकनीकी विशेषज्ञ/इंजीनियर को सभी दिशा परिवर्तन गतिविधियों में शामिल करें। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बुनियादी ढाँचा की डिजाइन पर भी दिशा परिवर्तन का प्रभाव पड़ सकता है।
- प्रतिस्थापन से पहले मूल स्थान पर पी.सी.आर. की तस्वीरें, माप आदि को लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि भविष्य में संदर्भ के लिए यह जरूरी है।

<u>विकल्प-3</u>: यदि समुदाय पी.सी.आर. को स्थानांतरित/प्रतिस्थापित करने के लिए सहमत <u>नहीं</u> है,लेकिन <u>पी.सी.आर. भूमि के हिस्से पर योजना की बुनियादी ढाँचा की अनुमति देने पर सहमत है</u>

- यदि समुदाय बुनियादी ढाँचा निर्माण के लिए पी.सी.आर. भूमि के हिस्से का उपयोग करने की अनुमति देने को तैयार है, तो उपयोग किये जाने वाले सहमत क्षेत्र और उस भूमि पर किये जा सकने वाले और नहीं किये जा सकने वाले कार्यों की पहचान करें।

तकनीकी विशेषज्ञ/इंजीनियर के साथ बुनियादी ढाँचा डिजाइन तैयार करें और समुदाय को उपलब्ध करायें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्माण के बाद सामुदायिक भावनाएँ आहत नहीं हों, **ढांचा,** उसकी ऊँचाई, स्थान आदि पर चर्चा करें।

- रचना योजना घटक इस पर आधारित है कि सभी हितधारकों के साथ क्या संग्रहणीय है।

- पी.सी.आर. में गड़बड़ी को न्यूनतम करने के लिए समुदाय के परामर्श से एक चारदीवारी/ अवरोध की पहचान करने पर विचार करें।
- पी.सी.आर. में किये जाने वाले किसी भी अनुष्ठान और निर्माण गतिविधियों से बाधा एवं पी.सी.आर. के भंग होने को ध्यान में रखते हुए पी.सी.आर. छानबीन परामर्श के एक हिस्से के रूप में, बुनियादी ढाँचा के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त समय की पहचान करें।
- पी.सी.आर. में गड़बड़ी या कार्य में बाधा को कम करने की दृष्टि से निर्माण के दौरान सभी कार्य एवं मुद्दों का स्पष्ट रूप से चिह्नांकन एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए ठेका अनुबंध में आवश्यक कार्यों की पहचान करें। इनमें से कुछ को सामुदायिक चर्चा के जरिये पहचाना जा सकता है, और इसे छानबीन प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए।
- पी.सी.आर.में विघ्न कम करने के लिए पी.सी.आर. और बुनियादी ढाँचा के बीच उपयुक्तता के अनुसार चारदीवारी जैसा कोई अवरोध बनाने पर विचार करें। यह उस समुदाय के साथ चर्चा के जरिये किया जाना चाहिए, जिसका पी.सी.आर. है।
- पी.सी.आर.स्थल के पास अत्यधिक कंपन पैदा करने वाली भारी मशीनरी का उपयोग करने से बचकर पी.सी.आर. की क्षति के जोखिम को कम करें।

दिशा परिवर्तन के बाद पी.सी.आर. की अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए परियोजना के तकनीकी विशेषज्ञ/इंजीनियर को सभी भूमि योजना गतिविधियों में शामिल करें। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बुनियादी ढाँचा की रचना पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है।

- प्रतिस्थापन से पहले मूल स्थान पर पी.सी.आर. की तस्वीरें, माप आदि को लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि भविष्य में संदर्भ के लिए यह जरूरी है।

<u>विकल्प-4</u>: यदि समुदाय पी.सी.आर. को स्थानांतरित / प्रतिस्थापित करने को सहमत <u>नहीं</u> है

- नियोजित बुनियादी ढाँचा के लिए वैकल्पिक स्थान की पहचान करें।

स्थिति-2

पी.सी.आर. के तहत भूमिगत योजना के बुनियादी ढाँचे की स्थापना की जानी है

संभावित प्रबंधकीय कार्य

विकल्प-1: यदि समुदाय पी.सी.आर. के नीचे **<u>बुनियादी ढाँचा निर्माण के लिए सहमत</u>** है

- पता लगायें कि क्या पी.सी.आर. को अस्थायी रूप से प्रतिस्थापित करने की जरूरत है। इसमें पी.सी.आर. से जुड़े समुदाय और परियोजना के तकनीकी एवं सामाजिक विशेषज्ञों को शामिल होना चाहिए। <u>यदि अस्थायी प्रतिस्थापन जरूरी है, तब</u>,

- पी.सी.आर.पर अधिकार रखने वाले समुदाय और वैकल्पिक स्थल के मालिक के परामर्श से पी.सी.आर. के लिए वैकल्पिक स्थल की पहचान करें।
- पी.सी.आर. प्रतिस्थापित होने पर कोई आपत्ति या असहमति न हो, इसके लिए वैकल्पिक स्थल पर या उसके आसपास रहने वाले या किसी सामाजिक या अन्यगतिविधि के लिए उस भूमि का उपयोग करने वाले समुदाय से भी परामर्श करना चाहिए ताकि पी.सी.आर. का अस्थायी प्रतिस्थापन सुचारु ढंग से हो।
- टीम के सामाजिक विशेषज्ञ के साथ मिलकर सामाजिक प्रबंधन ढाँचे में चिह्नित प्रक्रिया के अनुसार भू-स्वामित्व और स्वामित्व/खरीद आदि के हस्तांतरण की पहचान कीजिये।

शामिल समुदाय के साथ प्रतिस्थापन की योजना बनायें, स्थानीय त्योहारों, विश्वासों और प्राकृतिक घटनाओं (जैसे बारिश का मौसम) पर विचार करने की जरूरत पड़ सकती है, जो यह **मार्गदर्शन** कर सकता है कि पी.सी.आर. को कब प्रतिस्थापित किया जा सकता है।

- समुदाय के साथ मिल कर नया अस्थायी पी.सी.आर. स्थल तैयार करने के लिए कार्यों की पहचान करें और सुनिश्चित करें कि नया स्थल प्रतिस्थापन से पहले तैयार है।
- पी.सी.आर. को प्रतिस्थापित करने के लिए पी.सी.आर. के स्वामित्व वाले समुदाय के साथ काम करें। इसमें टीम और समुदाय से बाहर के विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़ सकती है और तब प्रतिस्थापन शुरू करने से पहले प्रक्रिया के लिए उनसे संपर्क करने और उन्हें लाने की जरूरत पड़ सकती है।
- एक बार जब प्रतिस्थापन पूरा हो जाये, केवल तभी स्थल पर योजना संबंधी गतिविधियाँ शुरू करें। जब पी.सी.आर. प्रतिस्थापित होता है तो कोई आपत्ति या असहमति न हो, इसके लिए वैकल्पिक स्थल पर या उसके आसपास रहने वाले या किसी सामाजिक या अन्य गतिविधि के लिए उस भूमि का उपयोग करने वाले समुदाय से भी परामर्श करना चाहिए ताकि पी.सी.आर. का अस्थायी प्रतिस्थापन सुचारु ढंग से हो।
- टीम के सहयोग से सामाजिक विशेषज्ञ सामाजिक प्रबंधन ढाँचे में चिह्नित प्रक्रिया के अनुसार भूमि के स्वामित्व और स्वामित्व के हस्तांतरण/खरीद आदि की पहचान करें।
- शामिल समुदाय के साथ प्रतिस्थापन की योजना बनायें, स्थानीय त्योहारों, विश्वासों और प्राकृतिक घटनाओं (जैसे बारिश का मौसम) पर विचार करने की जरूरत पड़ सकती है, जो यह मार्गदर्श कर सकता है कि पी.सी.आर. को कब प्रतिस्थापित किया जा सकता है।
- समुदाय के साथ मिल कर नया अस्थायी पी.सी.आर. स्थल तैयार करने के लिए कार्यों की पहचान करें और सुनिश्चित करें कि नया स्थल प्रतिस्थापन से पहले तैयार है।
- पी.सी.आर. को प्रतिस्थापित करने के लिए पी.सी.आर. के स्वामित्व वाले समुदाय के साथ काम करें। इसमें टीम और समुदाय से बाहर के विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़ सकती है और तब प्रतिस्थापन शुरू करने से पहले प्रक्रिया के लिए उनसे संपर्क करने और उन्हें लाने की जरूरत पड़ सकती है।
- प्रतिस्थापन जब पूरा हो जाये, केवल तभी स्थल पर योजना संबंधी गतिविधियाँ शुरू करें।
- पी.सी.आर. जाँच परामर्श के समय पी.सी.आर. के स्वामित्व वाले समुदाय के साथ यह भी पता लगायें कि भूमि तैयारी के संदर्भ में पी.सी.आर. को उसके मूल स्थान परस्थानांतरित करने से पहले क्या किये जाने की जरूरत है। इन कार्यों को पी.सी.आर. को उसके मूल स्थान पर स्थानांतरित करने के पहले करने की जरूरत पड़ेगी।
- मूल पी.सी.आर.स्थल के पुनर्वास के लिए समुदाय के साथ सहमत कार्यों का पालन करने के लिए बुनियादी ढाँचा और निर्माण गतिविधियों की योजना बनायें और डिजाइन करें।

- निर्माण पूरा हो जाने पर पी.सी.आर. को पुन: उसके मूल स्थान पर प्रतिस्थापित करना है और यह शामिल समुदाय के साथ सहमत ढंग से होना चाहिए।
- निर्माण के बाद पी.सी.आर. की अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए परियोजना के तकनीकी विशेषज्ञ/इंजीनियर को भूमि योजना से संबंधइत सभी चर्चाओं में शामिल करें। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बुनियादी ढाँचा की डिजाइन पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है।
- किसी भी प्रतिस्थापन से पहले मूल स्थान पर पी.सी.आर. की तस्वीरें, माप आदि को लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि भविष्य में संदर्भ के लिए यह जरूरी है।

<u>विकल्प -2</u>: यदि समुदाय पी.सी.आर. के नीचे **<u>बुनियादी ढाँचा निर्माण के लिए सहमत नहीं होता</u>** है।

- बुनियादी ढाँचा के लिए वैकल्पिक स्थल/दिशा परिवर्तन की पहचान करें।

स्थिति-3

नियोजित बुनियादी ढाँचासे पी.सी.आर. की अखंडता में कमी या उस तक पहुँच में बाधा

प्रबंधन के संभावित कार्य

- बुनियादी ढाँचा के लिए वैकल्पिक दिशा परिवर्तन या प्रवेश पर विचार करें जो पी.सी.आर. के लिए उपयुक्त हो।

प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए बुनियादी ढाँचा की ऊँचाई/ रचना बदलें।

- क्षेत्र की अखंडता में सुधार के लिए बुनियादी ढाँचा की रचना में अन्य तत्वों पर विचार करें - जैसे कि कुछ पौधे/पेड़ की प्रजातियों का रोपण जो पी.सी.आर. के मालिक के अनुसार एक उपयुक्त माहौल बना सकते हैं। ऐसे तत्वों की पहचान के लिए और सामाजिक विशेषज्ञ और तकनीकी विशेषज्ञ/इंजीनियर की उपस्थिति में पी.सी.आर. के मालिक समुदाय के साथ परामर्श की आवश्यकता होगी।
- पी.सी.आर. और बुनियादी ढाँचा के बीच एक अवरोध/**घेरा** बनाने पर विचार करें जो उपयुक्त हो और समुदाय को स्वीकार्य हो।
- जहां सहमति हो या उपयुक्त हो, पी.सी.आर.तक पहुँचने के लिए वैकल्पिक मार्ग बनायें। हालांकि, यह पी.सी.आर. के मालिक समुदाय और क्षेत्र के अन्य हितधारकों के साथ परामर्श प्रक्रिया के ज़रिये होना चाहिए।

स्थिति-4

योजना के निर्माण या संचालन के दौरान योजना से पी.सी.आर.पर बाधा।

प्रबंधन के संभावित कार्य

- क्षेत्र में बाधाको कम करने के तरीकों की पहचान करें, जैसे घेरेबंदी और बुनियादी ढाँचा स्थल पर प्रवेश के लिए द्वार का निर्माण।
- बाधा न्यूनतम करना सुनिश्चित करने के लिए गतिविधि की पहचान करें और स्कीम स्थल की योजना बनायें - जैसे बैकअप बिजली प्रणाली और जनरेटर पी.सी.आर. से दूर होना चाहिए, और प्रणाली के लिए नियोजित किसी भी बिजली लाइनों को पी.सी.आर.के ऊपर से नहीं जाना चाहिए।
- सुनिश्चित करें कि कोई अपशिष्ट भंडारण या अन्य अपशिष्ट सामग्री पी.सी.आर. के पास नहीं रखा जाये।

स्थिति-5

जलभराव या कचरा जमा होने से भविष्य में लम्बे समय तक का नुकसान

प्रबंधन के संभावित कार्य

- पी.सी.आर. के निकट स्थित सभी बुनियादी ढाँचा वाले स्थलों के लिए उचित जल निकासी और अंतिम निस्तारण स्थल की व्यवस्था करें। जहाँ बैकवाश का पानी दोबारा इस्तेमाल नही हो रहा हो, उसके भी निकासी का इंतजाम किया जाये।
- सुनिश्चित करें कि कोई भी कचरा या अन्य सामग्री पी.सी.आर. के पास जमा न किया जाये और प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए कचरे के नियमित निस्तारण की व्यवस्था बनायी जाये।

स्थिति-6

भविष्य के बुनियादी ढाँचा का विस्तार जिसके परिणामस्वरूप अनचाहा कब्जा होता हो, आसपास के क्षेत्र में पी.सी.आर. की अखंडता को कम करना।

प्रबंधन के संभावित कार्य

- स्थल पर अतिक्रमण को कम करने के लिए घेराबन्दी करें या **चारदीवारी** बनायें।

5.2. निर्माण के दौरान पी.सी.आर. पर प्रभाव

स्थिति-1

संयोगवश मिला परिणाम

प्रबंधन के संभावित कार्य

- संयोगवश मिले परिणाम के रूप में पी.सी.आर. पहचान प्रक्रिया को निर्माण अनुबंधमें शामिल करने और जागरुक करने के लिए निर्माण ठेकेदार के साथ काम करें
- जब तक जिला मजिस्ट्रेट या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, और पुरातत्व विभाग द्वारा मंजूरी नहीं दी जाती है, तब तक सभी कार्य बंद कर दें और क्षेत्र की घेरेबंदी कर दें और क्षेत्र में किसी को भी घुसने की अनुमति न दें।
- सक्षम अधिकारियों के साथ चर्चा के आधार पर आगे की कार्रवाई की पहचान करें
- स्थल पर कार्यों के लिए तकनीकी जानकारों की आवश्यकता हो सकती है, जिनसे आवश्यकतानुसार संपर्क करने और लाने की जरूरत पड़ सकती है।

स्थिति-2

निर्माण के वक्त पी.सी.आर. को क्षति

प्रबंधन के संभावित कार्य

- कोशिश करें कि पी.सी.आर. के चारों ओर के क्षेत्र का उपयोग न तो निर्माण गतिविधियों के लिए लोगों के आने-जाने के रास्ते के रूप में और न ही किसी अन्य गतिविधि के लिए किया जाये।
- अगर कोई कार्य पी.सी.आर. के पास हो रहा है, तो उस पी.सी.आर. के समुदाय के परामर्श से उन क्षेत्रों के लिए कार्यों की पहचान करें। इन्हें निर्माण अनुबंध उपधारा का हिस्सा बनाएं।
- जिन जगहों पर पी.सी.आर. के पास काम हो रहा है, वहाँ जो ठेकेदार काम कर रहे हैं, उन्हें इन स्थलों पर कार्य करने के तरीके के लिए प्रशिक्षित/जागरूक करें, और यह सुनिश्चित करें कि ऐसे सभी स्थलों के प्रबंधन के लिए ठेकेदारों की ओर से निगरानी हो।
- काम खत्म होने के बाद, उस जगह को वापस पहले की तरह उनकी मूल स्थिति में बहाल करें।
- सभी उपायों के बावजूद यदि क्षति होती है, तो पी.सी.आर. के पुनर्वास के लिए, जिस समुदाय का पी.सी.आर. है, उसके साथ काम करें।

- किसी भी प्रतिस्थापन से यदि समान स्थल पर काम कर रहे हैं तो पहले पी.सी.आर. की तस्वीरें, माप आदि को लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि भविष्य में संदर्भ के लिए यह जरूरी है।

स्थिति-3

श्रम शिविर से बाधा

प्रबंधन के संभावित कार्य

- सुनिश्चित करें कि श्रम शिविर पी.सी.आर. के पास स्थित नहीं हैं
- श्रम शिविर में पानी,शौचालय और खाना पकाने का ईंधन आदि प्रदान करें।

श्रम शिविरों में रहने वालों को अवगत करायें और यह निगरानी रखें कि क्षेत्र में किसी भी पी.सी.आर. में कोई बाधा नहीं है।

- निर्माणकार्य खत्म होने के बाद शिविर स्थल का पुनर्वास करें।

- **स्थिति-4**

निर्माण स्थल से बाधा

- **प्रबंधन के संभावित कार्य**

पी.सी.आर. के पास की जगह में, काम करने का सबसे उपयुक्त समय चुनें जिससे पी.सी.आर. पर कम से कम बाधा हो, उदाहरण के तौर पर किसी विशेष प्रार्थना/त्योहार के समय पी.सी.आर. के पास पी.सी.आर. को संबंधित रास्ते पर निर्माण कार्य करने से बचें।

- यह सुनिश्चित करें कि निर्माण स्थल पर श्रमिकों के लिए पर्याप्त शौचालय और पीने का पानी हो, और आवश्यकतानुसार विश्राम क्षेत्र हो और सुनिश्चित करें कि उन्हें किसी भी चीज़ के लिए बाहर न जाना पड़े।
- यदि निर्माण आसपास के क्षेत्र में है, तो पी.सी.आर.स्थल के पास जनरेटर जैसे पावर बैकअप सिस्टम रखने से बचें।

स्थिति-5

निर्माण के दौरान मलबा निस्तारण/एकत्रण से पी.सी.आर.को क्षति

प्रबंधन के संभावित कार्य

- पी.सी.आर. को नुकसान से बचाने के लिए पी.सी.आर.छानबीन के दौरान तैयार मानचित्रों की सहायता से कचरा इकट्ठा करने और उसके निस्तारण या ड्रेनेज निस्तारण के लिए उपयुक्त स्थल की पहचान करें।
- किसी भी अनपेक्षित क्षति के मामले में, तुरंत सुधार करें।

स्थिति-6

पी.सी.आर के पास सामग्री भंडार

प्रबंधन के संभावित कार्य

- पी.सी.आर. को नुकसान से बचाने के लिए पी.सी.आर.छानबीन के दौरान तैयार मानचित्रों की सहायता से सामग्री भंडार के लिए उपयुक्त जगह की पहचान करें।

5.3. योजना संचालन और रखरखाव के दौरान पी.सी.आर. पर प्रभाव

स्थिति-1

कूड़ा रखने या फेंकने की वजह से पी.सी.आर.का रास्ता रुक जाना।

प्रबंधन के संभावित कार्य

- सुनिश्चित करें कि योजना के अनुसार कचरा इकट्ठा किया जाये या फेंका जाये।
- अगर किसी अप्रत्याशित वजह से योजना उपयुक्त न हो, तो कूड़ा फेंकने की नयी योजना बनायी जाये।
- जहाँ आवश्यक हो, मौजूदा योजना के बुनियादी ढाँचा के क्षेत्र में कूड़ा फेंकने के लिए कोई और जगह ढूँढें।

- **स्थिति-2**

बैकवाश या नाली का पानी पी.सी.आर. की तरफ जाने वाले बैकवाश या नाली के पानी को रोकना तथा उसका निस्तारण

- **प्रबंधन के संभावित कार्य**

- क्षेत्र में बहता पानी या जल निकासी प्रणाली न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम का उस हिस्से में बदलाव करें।

स्थिति-3

सिस्टम टूटना, विशेष रूप से पी.सी.आर. के नीचे स्थलों पर

प्रबंधन के संभावित कार्य

- जल्द से जल्द मरम्मत करें।
- पी.सी.आर.से जुड़े समुदाय के परामर्श से बुनियादी ढाँचे की मरम्मत के लिए सबसे उपयुक्त तरीके की पहचान करें।
- चर्चा और कार्य की सहमत विधियों के आधार पर मरम्मत कार्य शुरू करें।
- जहाँ तक हो सके, जब मरम्मत का काम हो रहा हो, उस वक्त यह सुनिश्चित करने के लिए कि मरम्मत के समय उठने वाले मुद्दों पर चर्चा हो और उसका निस्तारण हो, पी.सी.आर.से संबंधित समुदाय का अधिकार प्राप्त सदस्य वहाँ मौजूद हो।
- ऐसे सभी स्थलों पर कम से कम समय में काम पूरा करने की कोशिश करें और काम के वक्त किसी चीज की कमी न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए श्रमिकों, सामग्री आदि की योजना पहले से बनायें।
- स्थल पर या उसके पास कोई सामान या मलबा न रखें।

काम खत्म होने के बाद, सुनिश्चित करें कि जगह साफ-सुथरी और पहले जैसी थी वैसी ही बना दी जाये।

स्थिति-4

रखरखाव और संचालन से परेशानी जैसे सामान या कूड़ा गाड़ी की वजह से।

प्रबंधन के संभावित कार्य

- जहाँ तक संभव हो, वाहन के आने-जाने और सामान लेने या उतारने का उचित समय तय करें।
- जहाँ तक हो सके, पी.सी.आर.के पास शोर न हो और वाहन न जाये।

नीर निर्मल परियोजना
भौतिक एवं सांस्कृतिक संसाधन पहचान
छानबीन प्रारूप

यह छानबीन प्रारूप नीर निर्मल योजना के तहत प्रत्येक योजना के लिए सभी भौतिक एवं सांस्कृतिक संसाधनों (पी.सी.आर.) की पहचान करने के लिए है, और इसमें श्रेणी 1 और श्रेणी 2 योजनाएँ, दोनों शामिल हैं।

खंड 1

परिभाषा और निर्देश

भाग ए

पी.सी.आर. को परिभाषित करना: विश्व बैंक परिचालन नीति 4.11के अनुसार,

"*भौतिक और सांस्कृतिक संसाधन चल या अचल वस्तुओं, स्थलों, संरचनाओं, संरचनाओं के समूहों और प्राकृतिक विशेषताओं और परिदृश्यों के रूप में परिभाषित किये गये हैं, जिनका पुरातात्विक, जीवाश्मिक, ऐतिहासिक, वास्तु, धार्मिक, सौंदर्य या अन्य सांस्कृतिक महत्व है। भौतिक सांस्कृतिक संसाधन शहरी या ग्रामीण संरचनी में स्थित हो सकते हैं, और जमीन के ऊपर या भीतर या पानी के अंदर हो सकते हैं। उनका सांस्कृतिक महत्व स्थानीय, प्रांतीय या राष्ट्रीय स्तर पर, या अंतरराष्ट्रीय समुदाय में हो सकता है।*"

भाग बी

परियोजना के तहत पी.सी.आर. की पहचान करने के लिए, उस समुदाय के साथ परामर्श करने की आवश्यकता होती है जहाँ बुनियादी ढाँचा और उससे संबंधित सुविधाओं/गतिविधियों को विकसित होना या जगह लेना है। परामर्श करने वाली टीम में शामिल होना चाहिए,

1. डी.पी.एम.यू. पर्यावरण विशेषज्ञ
2. डी.पी.एम.यू. सामाजिक विशेषज्ञ
3. डी.पी.एम.यू. तकनीकी विशेषज्ञ
4. जे.ई. और ए.ई. या जिनके अधिकार क्षेत्र में योजना स्थित है।

भाग सी

परियोजना में सभी पी.सी.आर. की पहचान करने के लिए गहन परामर्श सुनिश्चित करें। इसके लिए परामर्श का संचालन करने वाली टीम के पास योजना पर सभी प्रासंगिक विवरण, डी.पी.आर., योजनाबद्ध लेआउट के नक्शे और चित्र और विभिन्न योजना घटकों के स्थान जैसे दस्तावेज होने चाहिए। इस परामर्श में निम्न को कवर करना होगा,

1. योजना से प्रभावित होने की संभावना वाले पी.सी.आर. की संख्या और प्रकार
2. इन पी.सी.आर.का स्थल, उपयोग और महत्व

3. प्रभावों का संभव स्वरूप और परिमाण
4. पी.सी.आर. पर योजना के संभावित प्रभावों के निस्तारण के तरीकों पर समुदाय के सुझाव
5. यदि पी.सी.आर.या उनके स्थलों को स्थानांतरित करने, संशोधित करने या उनके दिशा-परिवर्तन की आवश्यकता है, तो समुदाय के बीच सहमति और समझौता।
6. परामर्श को रिकॉर्ड करें ताकि परामर्श में पहचाने गये सभी मुद्दों का परियोजना में उचित रूप से निस्तारित किया जाये।

खंड 2

<u>छानबीन प्रारूप</u>

<u>भाग ए</u>

राज्य : ब्लॉक/तालुक : जिला :

योजना का नाम (यदि कोई है):

योजना की **पहचान संख्या** (यदि कोई है):

योजना का प्रकार (उपयुक्त विकल्प और उप-विकल्प पर टिक लगायें)

☐	*एकल ग्राम योजनाएँ (एस.वी.एस.)*	☐	*बहु-ग्राम योजनाएँ (एम.वी.एस.)*
☐	एकल ग्राम पंचायत योजनाएँ	☐	वृहद बहु-ग्राम योजना (>5 ग्राम पंचायत)
☐	एकल ग्राम योजनाएँ	☐	लघु बहु-ग्राम योजनाएँ (1-5 ग्राम पंचायत)
☐	एकल बस्ती योजना		
☐	वार्ड स्तरीय योजना		

दायरा

	संख्या	नाम*
ग्राम पंचायतें		
बस्ती		
वार्ड		

*यदि 5 से ज्यादा हैं तो अलग सूची संलग्न करें

महत्वपूर्ण योजना घटक (लागू होने वाले सभी पर टिक लगायें):

☐ इनटेक : तैरता बजरा और पंप	☐ पंप हाउस	☐ वितरण संजाल
☐ इनटेक : अंतर्ग्रहण कुआँ और पंप	☐ कच्चे पानी का पाइपलाइन	☐ बूस्टर पंपहाउस
☐ बहु एच.वाई.डी.टी.	☐ जल शोधन संत्र	☐ एकल ई.एस.आर.
☐ एक एच.वाई.डी.टी.	☐ वितरण मुख्य	☐ बहु ई.एस.आर.

योजना की पर्यावरण श्रेणी (श्रेणी 1 या 2):

योजना का पूर्णता चरण : ☐ पूरा हुआ ☐ निर्माणाधीन ☐ तैयारी के अधीन

<u>भाग बी</u>

क्या जहाँ परियोजना की बुनियादी ढाँचाका निर्माण किया जा रहा है, या जहाँ परियोजना से उत्सर्जित किसी अपशिषट का निस्तारण किया जा रहा है, उन क्षेत्रों में रहने वाले हितधारकों के साथ परामर्श प्रक्रिया की गयी है? यदि हाँ, तो क्या परामर्श में पी.सी.आर. पर चर्चा शामिल है ? (इन पी.सी.आर. में जलनिकाय, पेड़ या अन्य जीव या वनस्पतियाँ, चट्टानें या अन्य भौतिक और परिदृश्य स्थान, कब्र या दफन स्थल आदि शामिल हो सकते हैं, जैसा इस प्रारूप की धारा 1 में परिभाषित किया गया है)।	हाँ ☐	नहीं ☐

<u>यदि हाँ, तो आगे बढ़ें।यदि नहीं, तो पहले पी.सी.आर. पर परामर्श करें, और फिर आगे बढ़ें।</u>

योजना का नाम (यदि लागू हो):

योजना की आई.डी. (यदि लागू हो): पी.सी.आर. संख्या :

<u>भाग सी</u>

योजना के आसपास कितने पी.सी.आर. की पहचान की गयी है (संख्या दें)? ☐

क्या योजना या इसके किसी हिस्से से चिह्नित पी.सी.आर.(प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से) प्रभावित होगा?	हाँ ☐	नहीं ☐

<u>यदि हाँ, तो आगे बढ़ें। यदि नहीं, तो आपको शेष प्रारूप भरने की आवश्यकता नहीं है।</u>

यदि हाँ, तो कितने? (*संख्या दें*)?

यदि एक है, तो खंड डी और ई भरें, आपको इस प्रारूप को केवल एक बार भरने की आवश्यकता है। ☐

यदि एक से अधिक है,

(i) कृपया खंड डी और ई प्रारूप की कई प्रतियाँ बनायें और प्रति प्रभावित पी.सी.आर. की पृथक प्रति भरें, और

(ii) *विशिष्ट पहचान सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक पी.सी.आर. को अलग संख्या दें और सभी प्रारूपों को एक दस्तावेज के रूप में संलग्न करें।*

योजना का नाम (यदि लागू हो):
योजना की आईडी (यदि लागू हो): *पी.सी.आर. संख्या :*

<u>भाग डी</u>

1. बहु पी.सी.आर. के मामले में, यहाँ मौजूदा पी.सी.आर. की संख्या भरें ☐

2. पी.सी.आर. स्थल : कृपया योजना लेआउट के मानचित्र, रेखाचित्र या स्केच पर इस पी.सी.आर. के स्थल को इंगित करें। जहाँ पी.सी.आर. स्थित है, उस क्षेत्र के नाम का उल्लेख करें और जहाँ संभव हो, संबंधित ग्राम पंचायतों के जीपीएस का उल्लेख करें।

   कृपया स्थल का विवरण दें:

   कृपया स्ट्रिप प्लान पर योजना के सभी पी.सी.आर.स्थल चिह्नित करें और इसे इस दस्तावेज में शामिल करें।

3. पी.सी.आर. की प्रकृति/प्रकार :

4. कृपया पी.सी.आर. का उपयोग करने वाले या पी.सी.आर. जिनके स्वामित्व में है, उस समुदाय/समूह का नाम लिखें :

5. पी.सी.आर. का महत्व और उपयोगिता क्या है? कृपया संक्षेप में बताये।

6. क्या पी.सी.आर. राज्य या राष्ट्रीय स्तर के किसी नियम के तहत संरक्षित है? हाँ ☐ नहीं ☐

7. यदि हाँ, तो कृपया नियम का विवरण दें।

योजना का नाम (यदि लागू हो):

योजना की आईडी (यदि लागू हो): *पी.सी.आर. संख्या :*

<u>भाग ई</u>

पी.सी.आर. पर इस योजना का प्रभाव	हाँ	नहीं
1. क्या योजना की बुनियादी ढाँचा का कोई हिस्सा पी.सी.आर. स्थल पर निर्मित है या निर्मित होने के लिए प्रस्तावित है?	☐	☐
2. क्या योजना की बुनियादी ढाँचा का कोई हिस्सा पी.सी.आर. के निकट या दायरे में बन रहा है या बनने की संभावना है? यदि हाँ, तो कृपया मीटर में दूरी बतायें :	☐	☐
3. क्या योजना की बुनियादी ढाँचा का कोई हिस्सा या निर्माण या परिचालन एवं रख-रखाव (ओ. ऐंड एम.) गतिविधि पी.सी.आर.तक पहुँचने के रास्ते में रुकावट डाल रही है, या महत्व को कम कर रही है या समुदाय की भावनाओं को चोट पहुँचा रही है? यदि हाँ, तो मुद्दो का विवरण दें	☐	☐
4. क्या परियोजना से निकलने वाला कोई कूड़ा या पानी पी.सी.आर. से जुड़े या सटे क्षेत्र में जा रहा है या जाने की संभावना है? यदि पी.सी.आर. के पास कूड़ा या पानी जमा करने का कोई स्थान (संभावित) है, तो कृपया मीटर में दूरी लिखें और विस्तार से विवरण दें कि यह कैसे पी.सी.आर. को प्रभावित करता है।	☐	☐
5. निर्माण के दौरान, क्या श्रमिक शिविर या संयंत्र या सामग्री भंडार बनाने जैसी किसी भी गतिविधि के लिए पी.सी.आर. स्थल पर या उसके पास जमीन अधिग्रहीत की जानी है? यदि हाँ, तो कृपया विवरण दें।	☐	☐

6. किसी भी और तरह का प्रभाव [कृपया विस्तार से बतायें, यदि जरूरत हो तो अतिरिक्त पृष्ठ जोड़ें] ☐ ☐

7. क्या परामर्श के अनुसार समुदाय योजना निर्माण को सुविधाजनक बनाने के लिए पी.सी.आर. स्थल के स्थानांतरण/संशोधन/बदलाव के लिए सहमत है? किसी भी मामले में, परामर्श के विवरण का प्रासंगिक सार या सापेक्षिक पी.सी.आर. स्थल के स्थानांतरण/ संशोधन/ बदलाव पर अधिकृत समुदाय प्रतिनिधि/सक्षम अधिकारी से वैध दस्तावेज को संलग्न करें। ☐ ☐

Disclaimer: यद्धपि कि **RWSSP-LIS** के **EMF Annex on PCR** का हिन्दी में अनुवाद करने में पूरी सावधानी बरती गई है, यथापि किसी भी प्रकार की अस्पष्टता/अशुद्धि होने पर प्रतिवेदन के मूल अंग्रेजी संसकरण ही मान्य होगा।